मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014-ज्येष्ठ 16, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

NOTICE

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL (AUXI.)

(Ms. P. B. Singh)

PANCHMAHALS, AT GODHRA, STATE— GUJARAT

M. A. C. P. No. 2623 of 1999

Petitioner : **Sonalben B. Kachhi (Kushvah) & Ors.**
Residing at Ninouli, Ta. Mandavgadh,
Dist. Jhalaon.

Versus

Opponent :
1. **Maheshsinh Ramsinh Bhager**
2. **Surendrasinh Shriram Bodusinh,**
Both Resi. At—Subhashnagar Mohallah,
At—P.O. Ta. Dist. Bhind,
Madhya Pradesh.

That the petitioner herein has moved claim petition before this Tribunal, U/Sec. 166 of the M. V. Act, Claiming compensation of Rs. 9,00,000/- from the aforestated opponents.

In this connection, the opponents herein are directed to remain present before this Tribunal in person or through advocate, at 10.30 hrs. on any working day, within (30) days from the publication of this notice, alongwith all relevant documents and evidence available for your defence, failing which the claim petition shall be proceeded further in your absence, in accordance with the provision under law.

Given under the seal and signature of this Court on this 7th day of May, 2014.

Prepared & Checked By

(A. D. Minama)
Assistant

By Order

(A. M. Saiyad)
Dy. Registrar,
M.A.C.T. Branch, Godhra,
Dist. Panchmahals (Guj.).

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी

कटनी, दिनांक 24 अप्रैल, 2014

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नगर विकास स्कीम क्रमांक-01 तैयार किए जाने बाबत

क्र./1030/के.डी.ए./2014.—माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में विचाराधीन रिट याचिका क्रमांक डब्लू. पी./9239/2013, मेसर्स आन्नदम इन्फ्राटेक कटनी बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (3) के अन्तर्गत एतद्द्वारा सर्व-साधारण की सूचना हेतु प्राधिकरण की झिंझरी में प्रस्तावित आवासीय सह वाणिज्यिक योजना क्रमांक 01 के क्रियान्वयन हेतु स्कीम का प्रारूप तैयार कराया जा कर सर्व-साधारण, विभागों, निकायों एवं अन्य संबंधितों से स्कीम के संबंध में सुझाव, दावे अथवा आपत्ति इस सूचना के दैनिक समाचार-पत्र/राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में लिखित में कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, एन. एच.-7, शांति नगर दुगाडी नाले के समीप, जिला कटनी में आमंत्रित की जाती है. स्कीम के प्रारूप (ले-आउट प्लान) का अवलोकन कार्यालय कार्य दिवसों में कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश कलेक्ट्रेट, कटनी एवं कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम, मुडवारा-कटनी में किया जा सकता है.

उक्त विकास योजना निम्न विवरण में दर्शाए अनुसार क्षेत्र में बनाई जाना है. जिसकी चतु:सीमा का विवरण निम्नानुसार है ग्राम झिंझरी पटवारी हल्का नं. 29 राजस्व नि. मं. मुडवारा 2, तहसील कटनी, जिला कटनी के खसरा नं. 691, 692, 699, 700, 703, 704, 705/1, 722/1 क, 722/1 ख, 723 जिनका रकबा क्रमश: 0.03, 3.29, 2.90, 0.52, 1.29, 0.71, 43.70, 24.36, 6.28 एवं 2.52 कुल रकबा 85.60 हैक्टेयर शासकीय भूमि जो कि विकास प्राधिकरण को आवंटित है. जिसकी चौहदी निम्नवत है—

उत्तर दिशा में— खसरा नं. 622, शासकीय नहर, खसरा नं. 697, शासकीय नाला खसरा क्रमांक 698, 693, 994, 695, 696, 989, 690 एवं शासकीय भूमि 688 से लगी हुई है.

दक्षिण दिशा में— शासकीय भूमि खसरा नं. 739, 748/1, 722/1ड, 722/1ट, 722/1ज, 722/1च से लगी हुई भूमि.

पूर्व दिशा में— 657/1, 668,702/2, 708/2 तथा खसरा क्रमांक 765 राष्ट्रीय राज मार्ग एन एच-7 से 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 से लगी हुई सीमा.

पश्चिम दिशा में— ग्राम गुलवारा की भूमि एवं खसरा क्रमांक 730 तथा 724, 731 ग्राम झिंझरी से लगी हुई भूमि.

दिनेश श्रीवास्तव,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी.

(99-बी.)

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

It is informed to public that in past my son's name was Paryushan Patni, which is changed to Samyak Patni. therefore from now onwards my son should be known as Samyak Patni.

RAJESH PATNI,
(Father)
Nazar Bag, Ratlam, (M.P.).

(100-B.)

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम RAJMAN SINGH पिता JAGJIT SINGH दर्ज है, जबकि मेरे कार्यालय एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम RAJMANI SINGH PARIHAR अंकित है जो कि सही है. अत: मुझे RAJMANI SINGH PARIHAR के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(RAJMAN SINGH)

नया नाम :
(RAJMANI SINGH PARIHAR)
16, Nehru Ward No. 09,
Umaria, (M.P.).

(101-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम कु. सावित्री सोलंकी पुत्री भोंगू सोलंकी था, जो मेरे समस्त शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज आदि में लिखा है तथा शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमति सावित्री धाकड पत्नी श्री प्रमोद धाकड हो गया है. अब मैं अपने नये नाम सावित्री धाकड के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(सावित्री सोलंकी)

नया नाम :
(सावित्री धाकड)
पत्नी-श्री प्रमोद धाकड,
निवासी-गहोई कॉलोनी कोटेश्वर रोड,
ग्वालियर.

(102-बी.)

CHANGE OF NAME

Dinesh Kumar Raykwar S/o Ram Dulare Rayakwar changing my name (Dinesh Kumar Raykwar S/o Ram dulare Raykwar) in future known me as above name.

Old Name :

(DINESH KUMAR RAYKWAR)
S/o Ram Dulare Rayakwar.

New Name :

(DINESH KUMAR RAYKWAR)
S/o Ram Dulare Raykwar,
Pilot No. 7, Thala Road, Khushipura,
chandbad, Bhopal (M.P.).

(103-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम आबिद अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल लतीफ ख़ान था. मैंने अपना नाम बदलकर आबिद ख़ान रख लिया है. अब मुझे आबिद ख़ान पुत्र अब्दुल लतीफ ख़ान के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(आबिद अब्दुल लतीफ)

नया नाम :
(आबिद ख़ान)
म. नं. 11, हमीदउल्लाह नगर,
खानु खांव, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).

(104-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम याद नारायण शर्मा (YAD NARAYAN SHARMA) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम याद नारायण अवस्थी (YAD NARAYAN AWASTHI) हो गया है. अत: अब मुझे भविष्य में मुझे अपने नये नाम याद नारायण अवस्थी (YAD NARAYAN AWASTHI) से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(याद नारायण शर्मा)
(YAD NARAYAN SHARMA)

नया नाम :
(याद नारायण अवस्थी)
(YAD NARAYAN AWASTHI)
32/101-K, लुसान का बगीचा,
गली नम्बर-2, केन्ट, गुना (म.प्र.).

(59-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहले खलीलउल्ला खां खैशगी (KHALILULLA KHAN KHAISHAGI) था, जो मैंने बदलकर वेदिक नाम कृष्ण कांत खैशगी (KRISHNA KANT KHAISHAGI) धारण किया है. अत: सभी व्यक्ति मुझे कृष्ण कांत खैशगी (KRISHNA KANT KHAISHAGI) के ही नाम से जाने पहचानें.

पुराना नाम :
(खलीलउल्ला खां खैशगी)

नया नाम :
(कृष्ण कांत खैशगी)
19, जिमखाना रोड, टैगोर पार्क कॉलोनी,
खरगोन (म.प्र.).

(108-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनिल चंद्र/अनिल जायसवाल था, जो कि अब अनिल चंद्र जायसवाल पिता बृजमोहनलाल जायसवाल, निवास 337,विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर (म.प्र.) है. अब से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे. मैं अधीक्षक के पद पर कमिशनर सेन्ट्रल एक्साईज कस्टम एण्ड सर्विस टैक्स के अंतर्गत कार्यरत हूँ.

पुराना नाम :
(अनिल चंद्र/अनिल जायसवाल)

नया नाम :
(अनिल चंद्र जायसवाल)
337, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर (म. प्र.).

(109-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, अंकसूचियों में तथा मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निम्न अनुसार लिखा गया है :—

ऑविन जैन पिता श्री नवीनकुमार जैन
चमैली चौक, रविशंकर वार्ड,
सागर (म. प्र.) 470002

Aavin Jain S/o Shri Navin Kumar Jain
Chameli Chowk, Ravi Shankar Ward,
Sagar (M. P.) 470002

यह कि आज दिनांक 14-07-2013 से मेरा सही नाम/उपनाम निम्न अनुसार समस्त शासकीय विभागों में, अशासकीय विभागों में एवं सामान्य तौर पर सुधार कर पढ़ा, लिखा एवं जाना जावे :—

नेवी जैन पिता श्री नवीनकुमार जैन
श्रीमंत भवन, बी. एस. जैन मार्ग,
राजीव नगर, सागर (म. प्र.) 470002

Navy Jain S/o Shri Navin Kumar Jain
Shrimant Bhawan, B. S. Jain Marg,
Rajiv Nagar, Sagar (M. P.) 470002

पुराना नाम :
(ऑविन जैन)

नया नाम :
(नेवी जैन)
पिता श्री नवीनकुमार जैन,
श्रीमंत भवन, बी. एस. जैन मार्ग,
राजीव नगर, सागर (म. प्र.) 470002

(107-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अमित सिसोदिया (Amit Sisodiya) आयु 21 वर्ष मोहनगिरी विदिशा में निवास करता हूँ. मेरे पिता का नाम पूरन सिंह सिसोदिया (Pooran Singh Sisodiya) जाति सिलावट है. लिपिकीय त्रुटि के कारण कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकसूची में मेरे पिताजी का सरनेम अहिरवार दर्ज हो गया है. मेरा सरनेम सिसोदिया है जो सिलावट जाति का गौत्र है. यही सरनेम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज चला आ रहा है. मैं अपने उच्च शैक्षणिक दस्तावेजों में अपने पिताजी का सही नाम पूरन सिंह अहिरवार के स्थान पर पूरन सिंह सिसोदिया दर्ज कराना चाहता हूँ. इसके लिये मैंने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है.

मैं, पिताजी का सही नाम पूरन सिंह सिसोदिया दर्ज कराने की कार्यवाही कर रहा हूँ एवं इस हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है.

पुराना नाम :
(अमित सिसोदिया)
पुत्र श्री पूरन सिंह अहिरवार

नया नाम :
(अमित सिसोदिया)
पुत्र श्री पूरन सिंह सिसोदिया,
निवास—मोहनगिरी, विदिशा (म.प्र.).

(112-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विवाह पूर्व वनिता भुसारी था. विवाह पश्चात् मुझे श्रीमती जयश्री देशपांडे के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(वनिता भुसारी)
पुत्री श्री बसंत राव भुसारी

नया नाम :
(जयश्री देशपांडे)
पति श्री जयेश देशपांडे,
एम-103, प्लाट नं. 429, सेक्टर-बी,
सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(113-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे Hozefa Abid Husain (होजेफा आबीद हुसैन) के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर Huzefa Metro (हुजेफा मैट्रो) हो गया है. अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम Huzefa Metro (हुजेफा मैट्रो) के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(होजेफा आबीद हुसैन)
(Hozefa Abid Husain)

नया नाम :
(हुजेफा मैट्रो)
(Huzefa Metro)
म. नं.-आबीद मंजिल, बल्लभ नगर,
मंगरोल रोड, खरगोन (म. प्र.)

(114-बी.)

धारा-72 के अन्तर्गत सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म मेसर्स एग्रो पाईप, 34/ए, सेक्टर-सी, सांवेर रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, इन्दौर (म. प्र.) भागीदारी फर्म (पंजीयन क्रमांक 2825 सन् 1976-77) में दिनांक 01-10-1992 कुमारी मीनाक्षी पिता स्व. श्री लक्ष्मीचंदजी हरिया भागीदार के रूप में कार्यरत थी, विवाह पश्चात् नाम परिवर्तन होने के कारण भागीदारी फर्म में उनका नाम श्रीमती मीनाक्षी पति श्री विजय दधिया हो गया है, जिसका उल्लेख भागीदारी विलेख 01-10-1992 में दर्ज किया गया है. दिनांक 01-04-2011 को श्रीमती मीनाक्षी पति श्री विजय दधिया सेवानिवृत्त होकर, श्री अमित पिता श्री दिनेश हरिया एवं श्री विजल पिता श्री प्रफुल हरिया भागीदारों के रूप में शामिल हुए हैं. दिनांक 01-04-2012 को श्री अमित पिता श्री दिनेश हरिया एवं श्री विजल पिता श्री प्रफुल हरिया भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्त हुए हैं. सो विदित होवे.

दिनेश हरिया
(भागीदार)
मेसर्स एग्रो पाईप, इन्दौर
34/ए, सेक्टर-सी, सांवेर रोड,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, इन्दौर (म. प्र.)

(105-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस. कुमार, एफ-1/12, शालीमार गार्डन, कोलार रोड, भोपाल का पंजीयन फर्मों के रजिस्ट्रार कार्यालय, भोपाल में इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00269/07, दिनांक 26-02-2007 को किया गया है. पूर्व में उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह आत्मज श्री बलवंत सिंह एवं 2. श्रीमती अंजली सिंह (विवाह पूर्व नाम कु. जाहिदा खॉन) पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह भागीदार थे, जिनके मध्य भागीदारी विलेख दिनांक 6 अप्रैल, 2004 को निष्पादित किया गया था. इन भागीदारों में से श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह का स्वर्गवास दिनांक 22-12-2013 को हो जाने से उक्त फर्म मेसर्स एस. कुमार का पुनर्गठन किया जाकर फर्म में श्री राम कुमार सिंह आत्मज श्री बलवंत सिंह जी को नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया है. जिसका विधिवत भागीदारी विलेख दिनांक 27 जनवरी, 2014 को निष्पादित किया गया है. वर्तमान में उक्त भागीदारी फर्म मेसर्स एस. कुमार को 1. श्रीमती अंजली सिंह (विवाह पूर्व नाम कु. जाहिदा खॉन) पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह एवं 2. श्री राम कुमार सिंह आत्मज श्री बलवंत सिंह भागीदार के रूप में सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं तथा इन दोनों भागीदारों द्वारा ही संपूर्ण फर्म की व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है.

वास्ते—मेसर्स एस. कुमार
1. श्रीमती अंजली सिंह,
2. श्री राम कुमार सिंह,
(भागीदार).

(110-बी.)

फर्म समाप्ति आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स तिरूपति कन्स्ट्रक्शन स्थित दुकान नं. 33, सुपर मार्केट, तहसील व जिला दतिया, म. प्र. में भागीदारों (1) श्री रामकिशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री निरंजनलाल श्रीवास्तव एवं (2) श्री सुरेश कुमार कुशवाह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद कुशवाह की आपसी सहमति से फर्म दिनांक 20-05-2014 से समाप्त कर फर्म (विघटित) कर दी गई है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

रामकिशोर श्रीवास्तव
फर्म—मैसर्स तिरूपति कन्स्ट्रक्शन,
दुकान नं. 33, सुपर मार्केट, तह. व जिला दतिया (म. प्र.).
द्वारा—आर. एन. शर्मा (एडवोकेट)
प्रेम मार्केट, प्रथम तल, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(111-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 मई, 2014

क्र.जी.बी.चार/मशी. (1)2014-15/1651.—आनलाईन बिडिंग **https://www.mpeproc.gov.in** पर एवं तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा की सीलबंद हार्डकापी (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से बाइडिंग एवं आफसेट प्रिंटिंग मशीन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये क्रय हेतु आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत निविदा की हार्डकापी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **18 जून, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे** तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा. टेक्निकल टेण्डर लिफाफा-अ की हार्ड कापी एवं ऑनलाईन टेण्डर उसी दिनांक **18 जून, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे** स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(406)

Bhopal, Dated 27th May, 2014

TENDER NOTICE

No. GB-IV/Machinery/(1)/2014-15/1651.— Online Bidding go through **https://www.mpeproc.gov.in** and Sealed Technical & Commercial (Seperately) E-tenders are invited as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/ Authorised Dealers for the supply of **Offset Printing and Binding Machines** for the Govt. Central Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in**

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document must be received at the office of undersigned latest by 3.00 PM on **18th June, 2014** and the Envelope 'A' Hard Copy of Technical tender will be opened ONLINE on the same day i.e. **18th June, 2014** at 4.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in**

RENU TIWARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(406-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास पुलिस मुख्यालय, जहाँगीराबाद, भोपाल" द्वारा श्री नन्दन दुबे (भा.पु.से.), पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून, 2014 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	..	''मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास पुलिस मुख्यालय, जहाँगीराबाद, भोपाल''
2.	अचल सम्पत्ति	..	पुलिस मुख्यालय, जहाँगीराबाद, भोपाल.
3.	चल सम्पत्ति	..	1,001/-

जी. एस. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(371)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 21 मई, 2014

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक मोहम्मद इदरीस पिता फखरूद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार (म. प्र.) आदि-4 द्वारा जामिअतुल ईमान एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 06 जून, 2014 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

उक्त पंजीयन के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	..	जामिअतुल ईमान एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर चेरिटेबल ट्रस्ट बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार (म. प्र.)
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र)

अभय सिंह ओहरिया,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(372)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आचार्य श्री उमेश मुनीजी 'अणु' धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता-140/बी, उषा नगर एक्सटेंशन, इंदौर की ओर से श्री सरदारमल सुराणा, पिता समरथमल सुराणा, निवासी 680, उषा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	आचार्य श्री उमेश मुनीजी 'अणु' धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	140/बी, उषा नगर एक्सटेंशन, इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 01 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(373)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

ऑल इण्डिया इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एज्युकेशन काउसिंल (अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद्) ट्रस्ट, कार्यालय पता 1630/18, नंदा नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री सुधीर पिता छोंगालाल जायसवाल, पता—1630/18, नंदा नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ऑल इण्डिया इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एज्युकेशन काउसिंल (अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद्) ट्रस्ट
पता	:	1630/18, नंदा नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,100/- (अक्षरी रु. एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 01 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(373-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना

प्र. 4/बी-113/2013-14.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-7 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष.

यत: कि न्यासधारी श्री विशाल पुत्र मुकेश रघुवंशी, गुना "श्रीराम चैरेटेबल ट्रस्ट, गुना" श्रीराम चैरेटेबल ट्रस्ट, सहयोग हॉस्पीटल, गुना जिला मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 09 अप्रैल, 2014 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	..	श्रीराम चैरेटेबल ट्रस्ट, सहयोग हॉस्पीटल, गुना
चल सम्पत्ति	..	न्यास के पास 1,50,000 रुपये हैं.
अचल सम्पत्ति	..	न्यास के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है.

टी. एन. सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(405)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./विप./ते.प्र./2013/1805.—मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल पंजीयक क्र. भोपाल मुख्यालय/164, दिनांक 03 अक्टूबर, 1979 का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अन्तर्गत निरीक्षण करने हेतु आदेश क्र. विपणन/ते.प्र./11/1255, दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा श्री सुशील मिश्रा, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था.

जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र. सं.आ./विपणन/पीए/11/92, दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. निरीक्षण प्रतिवेदन में पाये गये तथ्यों के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र. ते.प्र./11/11, भोपाल, दिनांक 04 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य तिलहन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल को परिसमापन में लाये जाने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर निम्नानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया :—

1. संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है.
2. तिलहन संघ द्वारा अपने मुख्य उद्देश्य से भटक कर मध्यप्रदेश एवं प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भवन, फ्लेट, सम्पत्ति आदि क्रय कर अनावश्यक अधिकारी एवं कर्मचारियों की भर्ती की.
3. तिलहन संघ द्वारा सदस्यों को प्रबंध, पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षण के सभी पहलुओं पर सलाह, सहयोग, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण, सुलभ कराना उद्देश्य था किन्तु संघ द्वारा अंकेक्षकों, वरिष्ठ अधिकारियों के आक्षेपों एवं निरीक्षण टीपों के सुझावों की अवहेलना की गयी एवं निर्देशों का पालन नहीं किया गया. तिलहन संघ द्वारा उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियों को संचालित करने में लापरवाही बरती गयी.

4. तिलहन संघ को वर्ष 2004 से दिनांक 31-3-2010 तक शासन द्वारा एकमुश्त समझौता योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों एनसीडीसी को देय ऋण एवं ब्याज भुगतान करने हेतु रु. 294.61 करोड़ ऋण के रूप में प्रदाय किये गये किन्तु संघ द्वारा उक्त ऋण के विरुद्ध शासन को कोई राशि भुगतान नहीं की गयी है.

5. तिलहन संघ पंजीयन दिनांक 3-10-79 से [वर्ष 1979-80, 1980-81, 1982-83, 1985-86, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 (7 वर्षों) को छोड़कर] वर्ष 2010 तक सतत् हानि में रहा है.

6. 31-03-2010 की स्थिति पर संघ की कुल देनदारियां राशि रु. 734.30 करोड़ रही तथा लेनदारियाँ राशि रु. 231.08 करोड़ रही. इस प्रकार वर्ष 2011 की स्थिति में संघ रु. 503.22 करोड़ की संचित हानि में रहा.

7. संघ द्वारा सम्पत्तियों पर भू-भाटक, लगान, अन्य कर आदि का भुगतान नहीं किया गया तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं वेतन भत्तों में राशि रु. 8.27 करोड़ का भुगतान करना शेष है.

8. वर्तमान में तिलहन संघ में कुल स्वीकृत 1724 अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध 1225 पद भरे हुए हैं. उक्त 1225 पदों में से 783 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और 442 तिलहन संघ में कार्यरत हैं किन्तु संघ के वर्तमान कार्य व्यवसाय एवं संचित हानि को देखते हुए पदस्थ कर्मचारियों के वेतन तथा आर्थिक भार को वहन करने के लिये संघ सक्षम नहीं है.

9. वर्ष 2010 में लाभ हानि पत्रक के अनुसार संघ में कार्यरत कर्मचारियों पर राशि रु. 4.56 करोड़ वेतन भत्ते मद में भुगतान किया जा रहा है जिसके भविष्य में और बढ़ने की संभावना है.

10. देय अंकेक्षण शुल्क की राशि रु. 4.32 करोड़ बकाया है जिसका संघ द्वारा अपने अभिलेखों में वित्तीय पत्रकों में उल्लेख नहीं किया गया है.

11. तिलहन समितियों द्वारा संघ में रु. 3.00 करोड़ अंशपूंजी विनियोजित की गयी है. संघ के स्थिति विवरण पत्रकों में वर्ष 2004-05 से सतत् यह दर्शित हो रहा है कि रु. 2.58 करोड़ अंशपूंजी समितियों को आवंटन हेतु शेष है. इस राशि का भुगतान सदस्य समितियों को अभी तक नहीं किये जाने से स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि संघ के द्वारा अपने लेखों का संधारण भी उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है.

12. वर्ष 2006-07 से डिप्रीशियेशन रिजर्व में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है इसके विरुद्ध विनियोजन नहीं किया गया है.

13. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के पत्र क्र. योजना लेखा/4/2010/1538, दिनांक 10-11-2010 से शासकीय ऋण 49.00 करोड़, ब्याज 31.97 करोड़ एवं अंशपूंजी रु. 93.66 करोड़ देय है जबकि संघ द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अंशपूंजी में रु. 1705 करोड़ का अन्तर है.

14. इनवेस्टमेंट एलाउंस रिजर्व में राशि रु. 27.84 लाख, व्हीकल फण्ड में रु. 102.03 लाख तथा कान्ट्रीव्यूशन फार एनसीडीसी प्रोजेक्ट में रु. 437.50 लाख विगत कई वर्षों से दर्शित हो रहे हैं. संबंधित रिकार्ड तिलहन संघ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है.

15. तिलहन संघ द्वारा जिला/क्षेत्रीय समितियों से राशि लेना दर्शाया जा रहा है जबकि संबंधित संस्थाएं पूर्व से ही परिसमापनाधीन हैं. अतः भविष्य में संघ की लेनदारियों में किसी प्रकार की कमी आना असंभव है.

16. संघ के लगभग सभी संयंत्रों एवं अन्य सम्पत्तियों का निर्माण शासन द्वारा लीज कर प्रदत्त भूमि पर किया गया है केवल नाममात्र सम्पत्तियां तिलहन संघ के नाम पर हैं. फलतः उक्त सम्पत्तियों के विक्रय से एकमुश्त बड़ी राशि मिलने की संभावना नहीं है जिससे संघ की देनदारियों का चुकारा किया जाना संभव नहीं होगा.

तिलहन संघ के निवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दी गयी समय-सीमा में दिनांक 04-02-2012 में प्रथमतः दिनांक 15-03-2012 तथा पुनः दिनांक 31-03-2012 की वृद्धि की गयी.

तिलहन संघ प्रबन्धन द्वारा उनके पत्र क्र. तिस/मु./कार्मिक/परिसमापन 2012/28, दिनांक 09-04-2012 द्वारा लिखित में यह अवगत कराया गया है कि पंजीयक द्वारा वांछित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में तिलहन संघ की आमसभा दिनांक 28-03-2012 में विचार विमर्श कर निर्णय क्रमांक 6 अनुसार संस्था की वित्तीय, प्रशासकीय एवं व्यवसायिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिसमापन के लिए सहमति व्यक्त की गई तथा व्यक्तिगत सुनवाई पर उपस्थित होकर संघ का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यपालक संचालक को अधिकृत किया गया है.

प्रकरण में संघ को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदाय किया जा कर दिनांक 12-09-2013 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई जिसमें सुनवाई हेतु कार्यपालक संचालक, तिलहन संघ उपस्थित हुए. उन्होंने तिलहन संघ की साधारण सभा की बैठक दिनांक 28-03-2012 में लिये गये निर्णय से अवगत कराया कि पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परिसमापन में लाये जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 04-01-2012 में संघ की

वित्तीय, प्रशासकीय एवं व्यवसायिक स्थिति के संबंध में दर्शाये गये तथ्य को संघ के परिसमापन में लाये जाने हेतु पर्याप्त आधार होने से साधारण सभा द्वारा उक्त कारणों से सहमति व्यक्त किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की.

तिलहन संघ की वित्तीय स्थिति उसके पंजीयन दिनांक 03-10-1979 से वर्ष 2010 तक लगातार दयनीय रही है. वर्ष 1979-80, 1980-81, 1982-83, 1985-86, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 (7 वर्षों) को छोड़कर शेष वर्षों में तिलहन संघ सतत् हानि में रहा है. दिनांक 31-03-2010 पर संघ की कुल देनदारी रु. 734.30 तथा लेनदारी रुपये 231.08 करोड़ रही है. दिनांक 31-03-2011 की स्थिति में संघ कुल 503.22 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 की स्थिति पर 506.91 करोड़ की संचित हानि में रहा है. अत: उपरोक्त वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि भविष्य में संघ द्वारा इस प्रचुर हानि से उबर पाना संभव नहीं है. दिनांक 29-07-2013 को मंत्रिपरिषदीय निर्णय में म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत तिलहन संघ के परिसमापन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है.

इस प्रकार संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा है एवं उपरोक्त परिस्थितियों में तिलहन संघ को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. अत: संघ की संचित हानि, कुल देनदारी, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णत: असफल रहने, व्यवसाय एवं कार्य बंद कर देने के कारण तिलहन संघ को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मध्यप्रदेश तिलहन उत्पादन सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्र. भोपाल मुख्यालय/164, दिनांक 03-10-1979 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाता है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अंतर्गत श्री प्रकाश खरे, संयुक्त पंजीक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70, 70 (क), 71 तथा धारा-72 के अंतर्गत किये गये वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के परिसमापन की वैधानिक कार्यवाही सम्पन्न करेंगे तथा विधिवत् संघ की समस्त देनदारियों का चुकारा हो जाने एवं लेनदारियों की वसूली हो जाने के पश्चात् विधिवत् संघ के पंजीयन को निरस्त करने संबंधी में प्रस्ताव/प्रतिवेदन परिसमापक द्वारा आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को मेरे नाम एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनीष श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(374)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1287.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/905, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सईदपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सईदपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1288.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/906, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चर्म एवं हड्डी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-A)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1289.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/911, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आर्दश ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 874, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आर्दश ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 874, दिनांक 20 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-B)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1291.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/858, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटपिपलिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., घाटपिपलिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-C)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1292.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/842, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूँरनगर, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 24 सितम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूँरनगर, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 24 सितम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-D)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1293.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/876, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मंजूल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 01 मई, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था

सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मंजूल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 01 मई, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-E)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1294.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/982, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा उदित ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 21 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उदित ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 939, दिनांक 21 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापन नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-F)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1295.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/902, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पटी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 27 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पटी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 27 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-G)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1296.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/903, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रमपुराकला, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 891, दिनांक 04 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रमपुराकला, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 891, दिनांक 04 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-H)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1297.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/849, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा बाबा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 819, दिनांक 10 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बाबा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 819, दिनांक 10 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-I)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1298.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/838, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लवाझिर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 887, दिनांक 27 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लवाझिर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 887, दिनांक 27 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-J)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1299.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/946, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा जय बम-बम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सलैया, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जय बम-बम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सलैया, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-K)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1300.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/853, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महाराणा प्रताप ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महाराणा प्रताप ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-L)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1301.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/851, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा मेवाती, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 823, दिनांक 20 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा मेवाती, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 823, दिनांक 20 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-M)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1302.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/872, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा श्री साईंनाथ प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 846, दिनांक 29 सितम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री साईंनाथ प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 846, दिनांक 29 सितम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-N)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1303.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/868, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा नील क्रांति मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 02 जुलाई, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नील क्रांति मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 02 जुलाई, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-O)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1304.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/870, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा संगम मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिंहपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये संगम मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिंहपुर,

तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-P)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1305.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/871, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा रातापानी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., गौहरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 28 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रातापानी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., गौहरगंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 567, दिनांक 28 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-Q)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1306.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/873, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा श्री दुर्गा महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 04 जनवरी 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री दुर्गा महिला प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 04 जनवरी 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-R)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1307.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/867, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंजूसखुर्द, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंजूसखुर्द, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 13 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-S)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1308.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/865, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राजमउ, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 879, दिनांक 12 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राजमउ, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 879, दिनांक 12 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-T)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1309.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/862, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया गज्जू, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 804, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया गज्जू, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 804, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-U)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1310.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/860, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-V)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1311.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/841, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., चकावली, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 04 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., चकावली, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 04 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-W)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1312.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/888, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा बारना मत्स्यो. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 23 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बारना मत्स्यो. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 679, दिनांक 23 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-X)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1313.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/856, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 23 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 23 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-Y)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1314.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/898, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मातृशक्ति प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मातृशक्ति प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(376-Z)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1315.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/878, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा ऋतुराज प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 833, दिनांक 11 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ऋतुराज प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., बाडी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 833, दिनांक 11 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1316.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/856, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुरारी चोपडा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/

एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुरारी चोपडा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-A)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1317.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/864, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोजपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 05 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोजपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 05 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-B)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1318.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/838, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रा. सहकारी उप. भं. मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जून, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रा. सहकारी उप. भं. मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 08 जून, 2000 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-C)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1319.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/866, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 04 अप्रैल, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 04 अप्रैल, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-D)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1320.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/840, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पारतलाई, तहसील बरेली, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 820, दिनांक 14 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पारतलाई, तहसील बरेली, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 820, दिनांक 14 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-E)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1324.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/855, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा सोनल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 05 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये सोनल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मंडीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 05 अगस्त, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-F)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1325.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/874, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आर्दश महिला प्र. उप. सहकारी भण्डार मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 24 मई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आर्दश महिला प्र. उप. सहकारी भण्डार मर्या., औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 24 मई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-G)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1327.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/941, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा भारत मछली पालन सहकारी भण्डार मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 24 अगस्त, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारत मछली पालन सहकारी भण्डार मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 593, दिनांक 24 अगस्त, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-H)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1328.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/859, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 28 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-I)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1329.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/857, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हर्रई, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 26 जून, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हर्राई, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 26 जून, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-J)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1330.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/907, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देहगांव, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 771, दिनांक 06 अप्रैल, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देहगांव, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 771, दिनांक 06 अप्रैल, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-K)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1340.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/938, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., उमरखोह, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 937, दिनांक 26 जुलाई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., उमरखोह, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 937, दिनांक 26 जुलाई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-L)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1341.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/915, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा हडडी एवं चर्मोउद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 11 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये हडडी एवं चर्मोउद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 11 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-M)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1342.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/924, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउददेशीय सहकारी संस्था मर्या., खोहा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउददेशीय सहकारी संस्था मर्या., खोहा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-N)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1343.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/917, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रातातलाई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रातातलाई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-O)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1344.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/913, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा चन्द्रशेखर आजाद मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 29 फरवरी, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चन्द्रशेखर आजाद मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., कायमपुर, तहसील रायसेन जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 385, दिनांक 29 फरवरी, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-P)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1345.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/901, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मत्स्य. पालन सहकारी संस्था मर्या., महलपुर पाठा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 22 जुलाई, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मत्स्य. पालन सहकारी संस्था मर्या., महलपुर पाठा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 22 जुलाई, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-Q)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1346.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/869, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., आशापूरी, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 19 जुलाई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर स-प्रमाणक के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., आशापूरी, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 19 जुलाई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-R)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1347.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/910, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., मुडियाखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 01 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदिवासी पिछड़ा वर्ग मत्स्यो. मुडियाखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 01 अगस्त, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-S)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1348.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/847, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा पत्थर अलंगा बोल्डर सहकारी संस्था मर्या., पटना, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 18 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये पत्थर अलंगा बोल्डर सहकारी संस्था मर्या., पटना, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 18 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-T)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1349.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/920, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 943, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 943, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापन नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीक मुद्रा से जारी किया गया.

(377-U)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1350.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/945, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 03 मार्च, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये पं. दीनदयाल उपाध्याय ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 03 मार्च, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-V)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1351.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/837, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा हरिजन ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बम्हौरी गोदड, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 541, दिनांक 16 अप्रैल, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरिजन ईंट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बम्हौरी गोदड, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 541, दिनांक 16 अप्रैल, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के

अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-W)

रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1352.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/836, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रसीदपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 27 फरवरी, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रसीदपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 27 फरवरी, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(377-X)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1353.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/880, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला प्रा. सहकारी उप. भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 663, दिनांक 11 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु संस्था ने जो उत्तर दिया है वो संतोषप्रद नहीं है तथा कार्यशील होने का कोई ठोस प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संतोषप्रद उत्तर प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला प्रा. सहकारी उप. भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील बरेली, जिला राससेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 663, दिनांक 11 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(377-Y)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	माँ जगदम्बा ग्रा. म. बहु. स. सं. मर्या., बनिहार	169/23-02-2004	986/28-01-2009	एम. एस. मुवेल, स. नि.
2.	श्री गायत्री प्रेस स. सं. मर्या., पानसेमल	08/07-03-2000	941/28-01-2009	एम. एस. मुवेल, स. नि.
3.	बंधारेश्वर गुड़ खॉ. स. सं. मर्या., जलगोन	147/30-12-1963	49/30-04-2005	एम. एस. मुवेल, स. नि.
4.	अटल गृह निर्माण स. सं. मर्या., जुनापानी	126/23-05-1959	935/28-01-2009	एम. एस. मुवेल, स. नि.
5.	शिवशक्ति पींक संरक्षण स. सं. मर्या., जलगोन	905/25-02-1970	188-2/28-07-2003	एम. एस. मुवेल, स. नि.
6.	नेहरू आदि. गृह निर्माण स. सं. मर्या., टाकली	18/10-07-1962	934/28-01-2009	एम. एस. मुवेल, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. एस. मुवेल,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(378)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मांझी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी	966/17-05-1996	929/28-01-2009	श्री जी. एस. तरोले
2.	वरूण सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जुनापानी	18/26-01-2001	943/28-01-2009	श्री जी. एस. तरोले
3.	जनजाति वन श्रमिक सह. संस्था मर्या., चिरमिरिया	389/19-01-1968	166/23-03-2010	श्री जी. एस. तरोले
4.	जनजाति वन श्रमिक सह. संस्था मर्या., बिजापुरी	174/19-02-1965	165/23-03-2010	श्री जी. एस. तरोले

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जी. एस. तरोले,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(379)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रेवा श्रेय मुद्रणालय सहकारी संस्था, बड़वानी	10/20-09-2000	941/28-01-2009	श्री के. आर. सैते
2.	अम्बेडकर महिला प्रा. सहकारी भण्डार, बड़वानी	71/18-10-2002	920/28-01-2009	श्री के. आर. सैते
3.	आदि. खनिज सिंचाई संस्था, करामतपुरा	806/10-07-1991	2542/07-10-1998	श्री के. आर. सैते
4.	जय बजरंग आदि. मत्स्य सहकारी संस्था, भोरवाड़ा	924/28-09-1994	131-7/28-06-2000	श्री के. आर. सैते
5.	आदि. मत्स्य सहकारी संस्था, रणगॉवरोड़	1043/17-05-1996	131-6/28-06-2000	श्री के. आर. सैते

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

के. आर. सैते,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

(380)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हरिजन सिनेटरी मार्टस सं. मर्या., तलवाडा बुजुर्ग	12/17-02-2000	942/28-01-2009	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
2.	माँ भगवति खनिज उत्खनन सं. मर्या., उचावदडेब	966/02-06-1995	947/28-01-2009	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
3.	मत्स्योद्योग सह. सं. मर्या., बड़दा	687/17-08-1986	131-9/28-06-2006	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
4.	नवयुवक कहार मत्स्य सह. सं. मर्या., रामपुरा	655/02-02-1984	131/28-06-2006	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
5.	आदि. विकास मत्स्य सह. सं. मर्या., सालखेड़ा	1003/07-09-1995	930/28-01-2009	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
6.	किसान दलहन बीज उत्पा. सह.सं. मर्या., बड़वानी	85/24-02-2003	937/28-01-2009	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
7.	प्राथ. वृक्ष सह. सं. मर्या., तलाव	826/28-10-1991	188/28-07-2006	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
8.	प्राथ. वृक्ष सह. सं. मर्या., भवरगड़	827/28-10-1991	188-13/28-07-2006	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
9.	प्राथ. वृक्ष सह. सं. मर्या., मालवन	837/21-01-1959	188-12/28-07-2006	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
10.	श्री कान्हा विपणन सह. सं. मर्या., बड़वानी	216/11-05-2007	543/12-07-2012	राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेन्द्र सिरसाट,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(381)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1)

के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महर्षि वाल्मिकी यातायात सह.संस्था, निवाली	861/02-09-2002	188-07/28-07-2006	श्री के. सी. दशोरे
2.	पींक संरक्षर सह. संस्था, जुनापानी	198/07-01-1965	188-05/28-07-2006	श्री के. सी. दशोरे
3.	पींक संरक्षर सह. संस्था, कानसुल	404/25-02-1970	188-06/28-07-2006	श्री के. सी. दशोरे
4.	पटवारी प्रा. उ. भण्डार, राजपुर	101/14-02-1963	2770/17-07-1976	श्री के. सी. दशोरे
5.	गायत्री दुग्ध सह. संस्था मर्या., निवाली	951/22-09-1980	282/19-01-1987	श्री के. सी. दशोरे
6.	हरिजन बुनकर सह. संस्था मर्या., सनगांव	129/22-09-1953	2977/22-04-1971	श्री के. सी. दशोरे
7.	जनजाति वन श्रमिक सह. संस्था, बावनगजा	75/22-01-1962	266/21-10-1977	श्री के. सी. दशोरे

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

के. सी. दशोरे,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(382)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हरिजन बुनकर सहकारी संस्था, बड़वानी	54/04-04-1951	223-2/13-08-2009	श्री आर. बी. कनकने
2.	गृह निर्माण सह. संस्था, मुण्डियापुरा	114/31-01-1962	223-3/13-08-2009	श्री आर. बी. कनकने
3.	चर्मकार सह. संस्था मर्या., बड़वानी	37/05-01-1955	170/23-03-2010	श्री आर. बी. कनकने
4.	माचियान चर्मकार सह. संस्था मर्या., बड़वानी	86/28-06-1977	171/23-03-2010	श्री आर. बी. कनकने

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	सतपुड़ा मल्टीपर्पज (याता.) संस्था, बड़वानी	8153/11-12-1958	172/23-03-2010	श्री आर. बी. कनकने
6.	सतपुड़ा फल, साग-सब्जी सह. संस्था, खेतिया	25/06-06-2001	939/28-01-2009	श्री आर. बी. कनकने
7.	संत गुलाब बाबा प्रा. उ. भण्डार मर्या., खेतिया	974/13-02-1995	914/28-01-2009	श्री आर. बी. कनकने
8.	संजीवनी कुक्कुट पालन सह. संस्था, पानसेमल	914/16-03-1994	412/06-06-2001	श्री आर. बी. कनकने
9.	संजीवनी साख सह. संस्था मर्या., पानसेमल	929/22-10-1994	79/02-05-2005	श्री आर. बी. कनकने
10.	संजीवनी खनिज उत्खनन सह. संस्था पानसेमल	928/22-10-1994	414/06-06-2001	श्री आर. बी. कनकने

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. बी. कनकने,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(383)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त कृषि सह. संस्था, बड़ा खजूरी	240/29-09-1966	1742/30-09-1978	श्री व्ही. के. गुप्ता

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इस संस्था से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(384)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	माँ वैष्णोदेवी म. प्रा. उप. सह. भं. मर्या., राजपुर	78/20-11-2002	921/28-01-2009	श्री जे. एस. चौहान, स. नि.
2.	शिवम उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला सह. सं. मर्या., साली	27/21-08-2001	936/28-01-2009	श्री जे. एस. चौहान, स. नि.
3.	पुर्णिमा ग्रा. म. बहू. सह. सं. मर्या., रणगॉव रोड़	82/10-01-2003	962/28-01-2009	श्री जे. एस. चौहान, स. नि.
4.	लक्ष्मी ग्रा. म. बहू. सह. सं. मर्या., धमारिया	153/27-09-2003	975/28-01-2009	श्री जे. एस. चौहान, स. नि.
5.	विकास मत्स्योद्योग सह. सं. मर्या., भामी	288/28-12-1966	385/29-06-2011	श्री जे. एस. चौहान, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जे. एस. चौहान,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(385)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जनजाति वनश्रमिक सह. संस्था, मालवन	839/21-01-1959	167/23-03-2010	श्री अशोक काग
2.	जनजाति वनश्रमिक सह. संस्था, सिलावद	39/17-07-1967	169/23-03-2010	श्री अशोक काग
3.	तेल उत्पादक सह. संस्था मर्या., अंजड़	155/02-12-1955	7651/09-11-1970	श्री अशोक काग
4.	तेल उत्पा. सह. संस्था मर्या., ठीकरी	159/23-03-1954	6752/09-11-1970	श्री अशोक काग

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशोक काग,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(386)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिव शक्ति खनिज उत्खनन सह. सं., सेमल्दाडेब	1022/06-11-1995	949/28-01-2009	श्री एस. एस. चौहान
2.	चर्मकार सहकारी संस्था, राजपुर	109/08-06-1953	3988/13-09-1982	श्री एस. एस. चौहान
3.	चर्मकार सहकारी संस्था, अंजड़	154/18-06-1955	416/22-06-2010	श्री एस. एस. चौहान
4.	ग्राम लक्ष्मी साख सहकारी संस्था, सेंधवा	858/25-04-1992	416/22-06-2010	श्री एस. एस. चौहान
5.	विपणन सह. संस्था मर्या., खेतिया	04/21-09-1960	755/15-02-2006	श्री एस. एस. चौहान
6.	नारायण दास एग्रो सह. संस्था, पानवा	21/21-03-2001	987/28-01-2009	श्री एस. एस. चौहान
7.	सेंधवा मोटर चालक सह. संस्था, सेंधवा	1140/23-06-1997	9009/28-01-2009	श्री एस. एस. चौहान
8.	मध्यवर्ती बहु. सह. संस्था, सेंधवा	1018/14-03-1946	188-15/27-07-2006	श्री एस. एस. चौहान
9.	तेल उत्पा. सह. संस्था मर्या., सेंधवा	65/02-12-1955	75/02-05-2005	श्री एस. एस. चौहान

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद

प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. एस. चौहान,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(387)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सांई कृपा मत्स्य सहकारी संस्था, बड़वानी	776/01-07-1990	131-5/28-06-2006	श्री आर. ए. खान
2.	आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था, चिकल्या	926/10-10-1995	655/28-01-2006	श्री आर. ए. खान

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं को होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. ए. खान,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(388)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 29 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., जलगोन	506/07-12-1976	278/29-04-2010	श्री आर. के. महाजन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., खेतिया	503/06-7-1976	280/29-04-2010	श्री आर. के. महाजन
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., साली	555/06-03-1981	282/29-04-2010	श्री आर. के. महाजन
4.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पिपरानी	1106/11-01-1997	283/29-04-2010	श्री आर. के. महाजन
5.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., तलाव	1104/16-01-1997	132-4/28-06-2006	श्री आर. के. महाजन
6.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पनाली	1108/16-01-1997	132-16/28-06-2006	श्री आर. के. महाजन
7.	महात्मा ज्योतिबा फुले दुग्ध संस्था, दोंदवाड़ा	622/31-10-1983	284/29-04-2010	श्री आर. के. महाजन
8.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., जुनापानी	607/11-01-1983	132-2/31-03-2006	श्री आर. के. महाजन
9.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सनगांव	622/22-08-1984	132-7/28-06-2006	श्री आर. के. महाजन
10.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., दोंदवाड़ा	1125/23-03-1997	132-17/31-03-2006	श्री आर. के. महाजन
11.	दुग्ध उत्पा. सह. सं. मर्या., चिकल्दा (पानसेमल)	619/22-08-1983	830/31-03-2006	श्री आर. के. महाजन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

आर. के. महाजन,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(389)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 29 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., रूई	629/20-12-1998	132-5/28-06-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., ब्राहमण गांव	1102/16-01-1997	132-06/28-06-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सोन्दुल	1122/26-03-1997	827/31-03-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
4.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पिपरी ठीकरी	1127/16-03-1997	132-8/28-06-2006	श्री एस. एस. सोलंकी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नंदगांव	1084/16-01-1997	132-9/28-06-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
6.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सालखेड़ा	1157/26-11-1997	132-10/28-06-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
7.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., राजघाट	1100/16-01-1997	828/31-03-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
8.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., धनोरा	1097/16-01-1997	829/31-03-2006	श्री एस. एस. सोलंकी
9.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., फत्यापुर	591/29-01-1982	132-01/31-03-2006	श्री एस. एस. सोलंकी

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. एस. सोलंकी,
सुपरवाईजर एवं परिसमापक.

(390)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 29 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फसल सुरक्षा सह. संस्था, राजपुर	1050/25-05-1996	188-1/28-07-2006	श्री जे. एस. रावत
2.	आदिवासी बहु. श्रमिक सह. संस्था, झोपाली	179/23-02-1965	3527/02-09-1996	श्री जे. एस. रावत
3.	आदिवासी बहु. श्रमिक सह. संस्था, महुल्या	340/31-03-1967	3510/02-09-1996	श्री जे. एस. रावत

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जे. एस. रावत,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(391)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 29 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीराम खनिज उत्खनन सह. सं., पिपरी (ठीकरी)	70/17-10-2002	953-01/28-01-2009	श्री बी. एल. जामरे
2.	प्रदृम्य बीज उत्पा. सह. संस्था, बड़दा	50/04-06-2002	—	श्री बी. एल. जामरे
3.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., खडीखम	828/28-10-1991	188-08/28-07-2006	श्री बी. एल. जामरे
4.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., सोलवन	838/28-10-1991	188-11/28-07-2006	श्री बी. एल. जामरे
5.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., मोहाला	840/28-10-1991	188-10/28-07-2006	श्री बी. एल. जामरे
6.	प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., हिन्दली	841/28-10-1991	188-01/28-07-2006	श्री बी. एल. जामरे

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित, संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बन्धित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

बी. एल. जामरे,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(392)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 01 मार्च, 2013

क्र./उरन./परि./2013/182.—जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 11, सन् 1977 के संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने हेतु आदेश क्रमांक/उरन/निर्वा./2012-13/99, नरसिंहपुर, दिनांक 02 फरवरी, 2013 जारी किया गया था. रिटर्निंग ऑफीसर ने संस्था अध्यक्ष से निर्वाचन कराये जाने का आदेश तामील कराया तब संस्था के अध्यक्ष ने संस्था के लेटरपेड पर स्वयं हस्तलिखित पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील है व कार्य व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है.
2. संस्था की प्रबन्ध समिति अपने दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रही है एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित अपने उद्देश्यों के बारे में शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. संस्था की आर्थिक स्थिति दयनीय है. अत: संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं.

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रति उत्तर में संस्था अध्यक्ष द्वारा समिति को परिसमापन में लाने हेतु स्व-लिखित पत्र स्वीकार कर लिया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में जिला शिक्षक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 11, सन् 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (दो) के अन्तर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और इन सोसायटियों की आस्तियाँ, दायित्वों का विधिवत् निराकरण कर कामकाज समैटने के लिये सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(393)

नरसिंहपुर, दिनांक 11 मार्च, 2013

क्र./उरन./परि./2013/227.—गालब महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 594, दिनांक 28 मार्च, 2006 के संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने हेतु आदेश क्रमांक/उरन/निर्वा./2012-13/99, नरसिंहपुर, दिनांक 02 फरवरी, 2013 जारी किया गया था. रिटर्निंग ऑफीसर ने संस्था अध्यक्ष से निर्वाचन कराये जाने का आदेश तामील कराया तब संस्था के अध्यक्ष ने संस्था के लेटरपेड पर स्वयं हस्तलिखित पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि.—

1. संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील है व कार्य व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद है.
2. संस्था की प्रबन्ध समिति अपने दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रही है एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित अपने उद्देश्यों के बारे में शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है. संस्था की आर्थिक स्थिति दयनीय है. अत: संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं.

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रति उत्तर में संस्था अध्यक्ष द्वारा समिति को परिसमापन में लाने हेतु स्व-लिखित पत्र स्वीकार कर लिया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण में गालब महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नरसिंहपुर, पं. क्र. 594, दिनांक 28 मार्च, 2006 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (दो) के अन्तर्गत आदेश जारी होने की दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और इन सोसायटियों की आस्तियाँ, दायित्वों का विधिवत् निराकरण कर कामकाज समैटने के लिये सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(393-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मार्च, 2013

क्र./उरन./परि./2012-13/255.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/10-11/733 ए, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा आदर्श तेलघान सहकारी समिति मर्यादित, गोंगावली पं.क्र. 133 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (1) के तहत् आदर्श तेलघान सहकारी समिति मर्यादित, गोंगावली पं.क्र. 133, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बाडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(393-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मार्च, 2013

क्र./उरन./परि./2012.13/258.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/10-11/733 ए, नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया कला, पं.क्र. 364 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया कला, पं.क्र. 364, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बाडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(393-C)

नरसिंहपुर, दिनांक 18 मार्च, 2013

क्र./उरन./परि./2013-14/1210.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरन/परिसमापन/12-13/795/2477 बी, नरसिंहपुर के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कठौतिया, पं.क्र. 345, दिनांक 03 दिसम्बर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर, को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी/देनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी आदि का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी-देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कठौतिया, पं.क्र. 345, दिनांक 03 दिसम्बर, 1988, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बाडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(393-D)

नरसिंहपुर, दिनांक 19 फरवरी, 2014

क्र./परि./2013-14/250.—अध्यक्ष जय बजरंग बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता इमलिया, पंजीयन क्रमांक 67, दिनांक 14 सितम्बर, 2011, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2014 मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जय बजरंग बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता इमलिया, पंजीयन क्रमांक 67, दिनांक 14 सितम्बर, 2011, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों दायित्वों का विधिवत निपटारा कर कामकाज समेटन के लिये श्री साहेश चित्रे, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (ऑडिट) नरसिंहपुर को अधिनियम, की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(393-E)

नरसिंहपुर, दिनांक 20 मार्च, 2014

क्र./परि./2013-14/549.—अध्यक्ष अरिहंत बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता खमरिया, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 26 जुलाई, 2002, तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2014 मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अरिहंत बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता खमरिया, पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 26 जुलाई, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों, दायित्वों का विधिवत निपटारा कर कामकाज समेटन के लिये श्री साहेश चित्रे, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (ऑडिट), नरसिंहपुर को अधिनियम, की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

आज दिनांक 20 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(393-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गंगाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 852/2004, मंदसौर, दिनांक 27 जुलाई, 2004 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1098/2012, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(394)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला वस्त्र रंगाई-छपाई सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर. एच./भोपाल/529, दिनांक 07 अगस्त, 1995 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय

के पत्र क्र./937/परि./13, दिनांक 7 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था अध्यक्ष को परिसमापन में लाए जाने का निवेदन किया गया है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत मित्र मण्डली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री व्ही. के. खेरिया, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(394-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कोटड़ाबुजूर्ग, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/890, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 है, को परिसमापन में लाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./942/परि./13, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जबाव नहीं देना चाहती है तथा संस्था को लगाए गए आरोप स्वीकार है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कोटड़ाबुजूर्ग, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर को परिसमापन में लाता हूँ एवं श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक, मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(394-B)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

महिला वस्त्र रंगाई छपाई सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच/भोपाल/529, दिनांक 07 अगस्त, 1995 है को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/657/2013, दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. खरिया, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ की संस्था का निगम निकाय बॉडी कार्पोरेट के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(394-C)

मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2014

दलौदा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक (स्वायत्त 05, दिनांक 06 जून, 2002) नवीन पंजीयन क्र. 998, दिनांक 23 जुलाई, 2013 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1403/08, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-59 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री गिरीश निम्बार्क, अंके. अधिकारी को कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

दलौदा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, के श्री गिरीश निम्बार्क, परिसमापक व अंके. अधिकारी द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है.

अत: मैं, भारतसिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए. प. मदनमोहन मालवीय, सहकारी साख संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील व जिला मन्दसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परिसमापन/1403/08, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य प्रारम्भ करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिए नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

श्रीमति अनुसुईया पति मुकेश	अध्यक्ष
श्री गोपाल पिता बालमुकुन्द	सदस्य
श्री राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह	सदस्य
श्री रामकिशन पिता भेरूलाल	सदस्य
श्री गिरीश निम्बार्क (अंके. अधि.)	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(394-D)

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1268, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा विक्रम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया, तहसील पबई, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश),जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर. पी./417, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये, विक्रम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमरिया, तहसील पबई, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1270, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा माँ शारदा कृषि उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर. पी./592, दिनांक 16 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये, माँ शारदा कृषि उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./620, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर. पी./488, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. नायक, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.

अत: संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये, ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एस. आठिया,
सहायक-पंजीयक.

(395-B)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण), होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 19 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./अंके.-02/2014/183.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बघवाड़ा	2886/26-04-2006	693/29-03-2014
2.	नर्मदा क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., सिवनी मालवा	2903/12-12-2006	694/29-03-2014
3.	दि किसान पौध, बीज क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., इकलानी	2946/26-09-2007	695/29-03-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारदा	2947/12-11-2007	697/29-03-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रुप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यू. एस. राठौर,
परिसमापक/उप-अंकेक्षक.

(396)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

हरिहर सृजन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गोगांवा, तह. गोगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1567, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1259, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का

पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिहर सृजन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गोगांवा, तह. गोगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/ K.R.G.N./1567, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूपखेडा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1437, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1243, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ/5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूपखेडा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1437, दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-A)

खरगौन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1678.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुकडोल, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1280, दिनांक 23 जनवरी, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1099, दिनांक 23 जनवरी, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परि./807, दिनांक 02 जुलाई, 2013 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ/5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुकडोल, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1280, दिनांक 23 जनवरी, 2001 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिरक्यावाडी, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1358, दिनांक 31 मार्च, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1238, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ/5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिरक्यावाडी, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1358, दिनांक 31 मार्च, 2004 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

विश्वकर्मा कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, रायबिडपुरा, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./113, दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./10/807, दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षक द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. /एफ/5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विश्वकर्मा कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, रायबिडपुरा, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./113, दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(397-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./280, दिनांक 31 जुलाई, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलखेड़ा, तहसील एवं जिला

विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./280, दिनांक 31 जुलाई, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(398)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2043, दिनांक 03 अप्रैल, 1988 द्वारा विक्रम चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., माधवनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 253, दिनांक 06 सितम्बर, 1966 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एल. मंसौरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399)

उज्जैन, दिनांक 02 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/15.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., घुड़ावन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 16 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. कनेल, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399-A)

उज्जैन, दिनांक 02 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/16.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा श्री राम महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., मुण्डला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 12 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. कनेल, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399-B)

उज्जैन, दिनांक 02 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/17.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा शिवम महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., मालीखेड़ी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. कनेल, सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(399-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1619, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 17 जनवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. पी. द्विवेदी, पर्य. इन्दौर दुग्ध संघ, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(400)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1410, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरसोदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 23 जुलाई, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्य. दुग्ध संघ, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(400-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1621, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्निया ठिकाना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 03 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. चौधरी, पर्य. दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(400-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 134, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चेनपुरा, तहसील बागली, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 210, दिनांक 01 मार्च, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्य. दुग्ध संघ इन्दौर, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(400-C)

देवास, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./09/335.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1585, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, दुग्ध पर्यवेक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(401)

देवास, दिनांक 01 मई, 2013

क्र./परि./12/1285.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुकरास, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./937, दिनांक 29 मार्च, 2007 हैं तहसील खातेगाँव, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक को आदेश क्रमांक 1962, दिनांक 21 जून, 2007 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 25 मार्च, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है, एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकरास, तहसील खातेगाँव, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(401-A)

देवास, दिनांक 01 मई, 2013

क्र./परि./13/1297.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौबाराधीटा, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./666, दिनांक 25 अगस्त 1989 है तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. चौधरी,पर्यवेक्षक को आदेश क्रमांक 137, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 28 जुलाई, 2011/10 अप्रैल, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है, एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबाराधीटा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(400-B)

देवास, दिनांक 31 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./09/1895.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2290, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 के द्वारा रचनामाटेला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(400-C)

देवास, दिनांक 31 जुलाई, 2013

क्र./परि./12/1896.—गायत्री साख सहकारी समिति मर्यादित, टोंकखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./854, दिनांक 14 मई, 1999 है तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आई. एम. कुरेशी, को आदेश क्रमांक 1267, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 03 जून, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है, एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री साख सहकारी संस्था मर्यादित, टोंकखुर्द, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये, आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(400-D)

देवास, दिनांक 31 जुलाई, 2013

क्र./परि./12/1897.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, टिल्याखेड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./835, दिनांक 30 नवम्बर, 1996 है तहसील हाट पिपल्या, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. जायसवाल, दुग्ध संघ. पर्य. को आदेश क्रमांक 138, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 16 मार्च, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है, एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टिल्याखेड़ी, तहसील हाट पिपल्या, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये, आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(400-E)

देवास, दिनांक 31 जुलाई, 2013/ 3 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./09/2015.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 23/परि./12, दिनांक 03 जनवरी, 2012 के द्वारा कटलरी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित देवास, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 888, दिनांक 27 जुलाई, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमति चंदना शाह, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(400-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

यहकि पंचमुखी ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., गोविन्दगढ़, पंजीयन क्र./893, दिनांक 22 फरवरी, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्र./1751, दिनांक 29 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए पंचमुखी ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., गोविन्दगढ़, पंजीयन क्र./893, दिनांक 22 फरवरी, 2005 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(400-D)

यहकि आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., सिरमौर, पंजीयन क्र./640, दिनांक 02 सितम्बर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्र./336, दिनांक 05 मार्च, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., सिरमौर, पंजीयन क्र./640, दिनांक 02 सितम्बर, 1985 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

(400-E)

यहकि सत्यम् ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रीवा, वार्ड क्र. 9,10, पंजीयन क्र./911, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्र./1580, दिनांक 31 अगस्त, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एव देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों, जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई,1999 द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सत्यम् ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रीवा, वार्ड क्र. 9,10, पंजीयन क्र./911, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 निरस्त करता हूँ एवं उसका निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

पी. एन. गोडरिया,
उप-पंजीयक.

(400-F)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2014/450.— निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कालम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत

परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,भजिया.	428/04-01-1993	458/26-03-2013	श्री आर. एन. डेहरिया स. वि. अ.
2.	नारी प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., छिन्दीपातालकोट.	640/21-02-2003	458/26-03-2013	श्री आर. एन. डेहरिया स. वि. अ.
3.	गृह लक्ष्मी झाड़ू उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोधीखेड़ा.	415/27-12-1982	986/01-08-2013	श्री पी. सी. माहोरे प्र. स. वि. अ.
4.	बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., संवरनी.	48/04-05-1981	986/01-08-2013	श्री पी. सी. माहोरे प्र. स. वि. अ.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 10 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(375)

कार्यालय सहायक-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/72.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4583, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से गांधी हड्डी चर्मकार सह. संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्र.ए. आर./एस. पी. आर./25, दिनांक 28 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. पी. बरैलिया, अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत गांधी हड्डी चर्मकार सह. संस्था मर्या., श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्र.ए. आर./एस. पी. आर./25, दिनांक 28 जून, 2003 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह,
सहायक-पंजीयक.

(352-N)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून, 2014-ज्येष्ठ 16, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 फरवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर, सिवनी में फसल तुअर व बैतूल में गन्ना, हरदा में चना एवं मन्दसौर में राई-सरसों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05 फरवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिली अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		मक्का, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदन	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्स्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		राई-सरसों, अलसी, मसूर,मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार,		
4. पवई	. .		बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. चना, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. राई-सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. संजीत	. .				
9. कयामपुर	. .				
10.शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
7. ताल	. .				
8. रावरी	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .		(2) . .		
4. सोण्डवा	. .				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसराबद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
***जिला पूर्व निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलावगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ने की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
6. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर,मसूर, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				
7. बड़वारा	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .		(2) . .		
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .				
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर अधिक. बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(370)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.